भारतीय दंत परिषद
(दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 के तहत स्थापित एक सांविधिक निकाय)
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन
DENTAL COUNCIL OF INDIA
(A STATUTORY BODY CONSTITUTED UNDER THE DENTISTS ACT, 1948)
UNDER MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE, GOVERNMENT OF INDIA

आज़ादी का अमृत महोत्सव

No.DCI/ARPM/ARC/ARM/Gen/167/2022-23/2022/1334

Dated: 25-04-2022

To,

The Principals/Heads of all the Dental Colleges in the Country. (via Email & Speedpost)

Sub: **भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन एवं शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग के खतरे पर रोकने लगाने वाले डीसीआई विनियम, 2009 की धारा 12.2 के अनुसार दंत कॉलेजों मे रैगिंग के खतरे पर रोक लगाने वाली सूचना को 30.04.2022 तक डीसीआई की वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में**

Sub: **MEASURES FOR CURBING THE MENACE OF RAGGING IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS – IMPLEMENTATION OF DIRECTIONS OF HON'BLE SUPREME COURT OF INDIA - information as per section 12.2 of DCI Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Dental Colleges, 2009 to be uploaded on DCI website by 30.04.2022 – Regarding.**

महोदय/महोदया,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दन्त महाविद्यालयों में रैगिंग के खतरे को रोकने के लिए डीसीआई विनियम, 2009 के अनुसार, यह सुनिश्चित करना सभी संस्थाओं की जिम्मेदारी है कि उनके दंत संस्थान में रैगिंग की कोई घटना न हो और इसे रोकने के लिए किए गए उपाय समीक्षा की जाए।

2. उक्त विनियम की धारा 11.3 के अनुसार संस्था के प्राधिकारी/प्रबंधन (ट्रस्ट, सोसायटी, आदि), विशेष रूप से संस्था के प्रमुख, यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि संस्था में रैगिंग की कोई घटना न हो। यदि रैगिंग की कोई घटना होती है, तो प्रबंधन/प्रमुख उस व्यक्ति (व्यक्तियों) के खिलाफ तुरंत और उचित कार्रवाई करेंगे, जिसने घटना के समय कर्तव्य की उपेक्षा की है। प्रमुख की नियुक्ति के लिए नामित प्राधिकारी, अपनी बारी में, प्रमुख के खिलाफ तुरंत और उचित कार्रवाई करेगा।

3. सभी दंत चिकित्सा संस्थानों को शैक्षणिक वर्ष शुरू होने से पहले और साथ ही सत्र के बीच में साइनबोर्ड, पैम्फलेट आदि के माध्यम से रैगिंग के खिलाफ विज्ञापन जारी करना चाहिए। आपसे यह भी अनुरोध है कि आप अपने संस्थानों के सभी छात्रों को एक पुस्तिका जारी करें जिसमें रैगिंग क्यो गठित किया गया, रैगिंग के दंडनीय तत्व, रैगिंग के लिए दंड एवं सजा, एंटी रैगिंग स्कवाड, एंटी रैगिंग समिति (एंटी रैगिंग हेल्पलाइन), वार्डन, पुरुष और महिला छात्रावास उप वार्डन के सदस्यों के नाम और मोबाइल नंबर का विवरण दिया गया हो।

4. सभी दंत चिकित्सा संस्थान अपने किसी भी संकाय सदस्य (सदस्यों) को नये (फ्रेशर) और वरिष्ठ छात्रों के बीच समन्वय करने के लिए "काउंसलर" के रूप में नामित करें ताकि रैगिंग के खतरे को रोकने के लिए छात्रों (परामर्शदाताओं) के बैचों को दिन-प्रतिदिन की समस्याओं के बारे में नियमित रूप से और उनकी भूमिका को संवेदनशील बनाया जा सके।

5. आपसे आगे अनुरोध है कि बीडीएस/एमडीएस/पीजी डिप्लोमा/पैरा डेंटल कोर्स या डीसीआई द्वारा अनुमोदित/स्वीकृत किसी अन्य पाठ्यक्रम में पढ़ रहे (प्रथम वर्ष से अंतिम वर्ष तक) सभी छात्रों या माता-पिता/अभिभावकों से एंटी रैगिंग पर ऑनलाइन के माध्यम से www.antiraging.in/www.amanmovement.org वचन (अंडरटेकिंग) प्राप्त कर उसे फाइल करें।

6. उपरोक्त के अलावा, यहां यह भी उल्लेख करना उचित है कि विषय विनियम की **धारा 12.2** के अनुसार, प्रत्येक संस्थान **पिछले शैक्षणिक सत्र के संबंध में प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल** तक अपनी रिपोर्ट को निर्धारित प्रारूप (अनुबंध- II) इसके प्रत्येक कॉलम के सामने अपेक्षित जानकारी

दर्शाया गया, में सचिव, भारतीय दंत परिषद, ऐवान-ए-गालिब मार्ग, कोटला रोड़, नई दिल्ली-110002 को प्रस्तुत करेगा। जिसमे विफल होने पर भारतीय दंत चिकित्सा परिषद, दंत कॉलेजों में रैगिंग के खतरे को रोकने के लिए डीसीआई विनियम, 2009 की धारा 11.4 के अनुसार उस संस्थान पर निम्नलिखित में से कोई एक या कोई संयोजन का दंड लगाएगी: -

11.4.1 दंत चिकित्सक अधिनियम, *1948* की धारा *16*ए के तहत संस्था के खिलाफ मान्यता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करना।

11.4.2 संस्था की प्रवेश क्षमता को उस सीमा तक कम करना, जिस सीमा तक परिषद उचित समझे।

11.4.3 अगले आदेश तक संस्था में प्रवेश पर रोक लगाना।

11.4.4 यूजी/पीजी डेंटल कोर्स के नवीनीकरण की अनुमति को रोकने के लिए।

11.4.6 सभी संबंधितों की जानकारी के लिए, संबंधित संस्था पर लगाए गए जुर्माने की सूचना को डीसीआई की वेबसाइट पर पोस्ट करने

7. इसके अलावा, यह भी सूचित किया जाता है कि डीसीआई ने उपरोक्त आकडों की कुशलता से जांच करने के लिए और कागजी कार्रवाई को कम करने के लिए, डीसीआई की वेबसाइट पर अपेक्षित जानकारी/दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए एक ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किया है। तदनुसार, डीसीआई की कार्यकारी समिति ने अपने दिनांक 13.10.2018 को नई दिल्ली में आयोजित बैठक में निर्णय लिया गया है कि डेंटल कॉलेजों में रैगिंग के खतरे को रोकने के लिए डीसीआई विनियम, 2009 के अनुसार आवश्यक **सभी जानकारी/दस्तावेज, डीसीआई वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे और सूचना/दस्तावेजों की किसी भी हार्ड कॉपी को डाक द्वारा प्राप्त या ई-मेल द्वारा भेजने पर डीसीआई द्वारा विचार नहीं किया जाएगा।**

8. उपरोक्त के संबंध में, मुझे आपसे यह अनुरोध करने का निर्देश हुआ है कि निर्धारित प्रारुप (डीसीआई विनियम के प्रारुप के रुप में संलग्न-II) में मांगी गई अपेक्षित जानकारी को **पिछले शैक्षणिक सत्र 2021-2022 के लिए 30.04.2022** तक डीसीआई वेबसाइट पर अपलोड़ करें, माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त जांच समिति के अनुरोध अनुसार उपरोक्त जानकारी अपलोड़ करना अपेक्षित है। यदि जानकारी को **30.04.2022** तक डीसीआई वेबसाइट पर अपलोड़ नही किया गया तो दोषयुक्त संस्थान का नाम उपरोक्त बताई गई जांच समिति को उपर्युक्त कार्रवाई भेज दिया जाएगा और माननीय जांच समिति के द्वारा जो भी कहा गया हो उचित समझा जाएगा और उनका नाम डीसीआई वेबसाइट पर भी अपलोड़ कर दिया जाएगा।

9. कृपया इसे **अत्यंत शीघ्र** समझा जाएं।

10. भारतीय दंत परिषद रैगिंग के विरुद्ध **शुन्य सहनशीलता** सुनिश्चित करें।

Sir/Madam,

I am directed to say that as per DCI Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Dental Colleges, 2009, it is the responsibility of all the institution to ensure that no incident of ragging takes place in their dental institution and measures taken to curb it may be reviewed.

2. As per section 11.3 of the aforesaid regulations, the authorities/Management (Trust, Societies, etc.) of the institution, particularly the Head of the institution, shall be responsible to ensure that no incident of ragging takes place in the institution. In case any incident of ragging takes place, the Management/Head shall take prompt and appropriate action against the person(s) whose dereliction of duty lead to the incident. The authority designated to appoint the Head shall, in its turn, take prompt and appropriate action against the head.

3. All dental institutions should issue advertisements against ragging through signboards, pamphlets

etc. before the commencement of academic year as well as during the midst of the session. You are also requested to issue booklets to all the students of your Institutions containing the details about what constitutes ragging, punishable ingredients of ragging, punishments and penalty for ragging, names and mobile numbers of the members of the Anti Ragging Squad, Anti Ragging Committee (Anti Ragging Helpline), Wardens, Deputy Wardens of Men's and Women's hostel.

4. All dental Institutions shall designate any of their faculty member(s) as "Counsellor" for fresher and senior students to co-ordinate the batches of students (Counselees) regularly about day-to-day problems and also to sensitize their role in curbing the menace of ragging.

5. You are further requested to obtain and file undertaking, on anti ragging, from all parents/guardians and students (1st year to final year) studying in BDS/MDS/PG Diploma/Para Dental Courses or any other course approved/recognised by DCI, online through www.antiragging.in / www.amanmovement.org.

6. Besides above, it is also pertinent to mention here that, as per **section 12.2** of subject regulations, each and every institution shall submit its reports in prescribed format (Annexure-II) to the Secretary, Dental Council of India, Aiwan-E-Galib Marg, Kotla Road, New Delhi-110002, **by 30th April** of every year **in respect of the previous academic session**, indicating the requisite information against each column thereof, failing which the Dental Council of India, as per section 11.4 of Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Dental Colleges, 2009, shall impose any one or any combination of the following penalties on it:-

> *11.4.1 To initiate the derecognition process against the institution under section 16A of the Dentists Act, 1948.*
>
> *11.4.2 To reduce the ad'mission capacity of the institution to the extent to which the Council deem fit.*
>
> *11.4.3 To stop further admission in the institution till further orders.*
>
> *11.4.4 To stop renewal of permission in respect of UG/PG Dental Courses.*
>
> *11.4.6 To post the information regarding penalties so imposed on the concerned institution on the website of DCI for information of all concerned.*

7. *Further, it is also to inform that the DCI has developed an online module to upload the requisite information / documents on DCI website to reduce the paper work and to scrutiny the above data efficiently, accordingly, the Executive Committee of the DCI in its meeting held on 13.10.2018 at New Delhi has decided that the* ***all the requisite information / documents required as per DCI Regulations on Curbing the Menace of Ragging in Dental Colleges, 2009, shall be uploaded on DCI website and any hard copy of information /documents received by Post or sent by E-mail shall not be considered by DCI.***

8. In view of the above, I am directed to request you that the requisite information in the prescribed format (Annexure-II as prescribed in DCI Regulations) **for the previous academic session 2021-2022** may kindly be uploaded on DCI website **by 30.04.2022**, positively, as the said information is required to be uploaded as per request of the Monitoring Committee appointed by the Hon'ble Supreme Court of India. In case the information is not uploaded **by 30.04.2022** on DCI website, the name of defaulting institution will be forwarded to the said Monitoring Committee for such appropriate action as may be deemed fit and proper by the said Hon'ble Monitoring Committee, and their names will also be uploaded on DCI Website.

9. This may kindly be treated as **'Most Urgent'**.

10. The Dental Council of India ensures **Zero Tolerance** against ragging of any sort.

Yours faithfully,

Digitally signed by MUKESH KUMAR
Date: 2022.04.25 10:51:47 IST
Reason: Reason
Location: Location

(Mukesh Kumar)

Deputy Secretary
Dental Council of India

Copy for information and necessary action to:-

1. श्रीमान सचिव, , (via Email & Speedpost)
भारत सरकार, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय,,
(स्वास्थ्य विभाग-डीई अनुभाग), निर्माण भवन, मौलाना आजाद रोड़,,
New Delhi, Delhi - 110011.
secyhfw@nic.in
जानकारी हेतु।.

2. श्रीमान उप सचिव (एचई-सीडीएन), , (via Email & Speedpost)
शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, ,
उच्च शिक्षा विभाग, U.5 अनुभाग, शास्त्री भवन, ,
New Delhi, Delhi - 110001.
s.chander@gov.in
जानकारी हेतु।.

3. कु. चन्द्र कांता भल्ला, अवर सचिव, , (via Email & Speedpost)
यूजीसी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार,,
35 फिरोज शाह रोड़, ,
New Delhi, Delhi - 110001.
kantabhalla.ugc@nic.in
जानकारी हेतु,।.

4. डॉ. अर्चना ठाकुर, संयुक्त सचिव, , (via Email & Speedpost)
यूजीसी, ,
बहादुर शाह जफर मार्ग,,
New Delhi, Delhi - 110002.
archana.ugc@nic.in
जानकारी हेतु।.

Digitally signed by MUKESH KUMAR
Date: 2022.04.25 10:51:49 IST
Reason: Reason
Location: Location

(Mukesh Kumar)
Deputy Secretary
Dental Council of India

CC:-

The President, Dental Council of India, New Delhi

ऐवान-ए-ग़ालिब मार्ग, कोटला रोड़, नई दिल्ली – 110 002 ¤ Aiwan-E-Ghalib Marg, Kotla Road, New Delhi – 110 002
दूरभाष/Phones : 011-23238542, 23236740, ई-मेल/E-mail : secy-dci@nic.in, वेबसाईट/Website : www.dciindia.gov.in
|| सफाई, दवाई और कड़ाई, जीतेंगे कोरोना से लड़ाई – खुद बचें, अपनों को बचाएं। ||

16